

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p style="text-align: center;">दिदार खां बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार लूणी )</p> <p style="text-align: center;">सू.अ.अ. अपील संख्या 134 / 2019</p>	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिदार खां पुत्र चांद खां मु० पो० झंवर, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 18.06.19 में उसके द्वारा (1) ग्राम झंवर के ग्रामीणों के साथ दिनांक 21.03.2007 को जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर में पहुंच कर कार्यवाही के लिए आवेदन किया था उक्त आवेदन को जिला कलक्टर महोदय ने 26.03.2007 को आपके कार्यालय में कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया, उस आवेदन पत्र पर की गई प्रतिदिन की कार्यवाही अर्थात् दैनिक प्रगति रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	